मदनलाल बनाम श्याम

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ...13/211

31.01.2018	पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी ने एक अपील एसडीएम दीगोद के आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 71/10 माननीय न्यायालय में पेश की थी जिसमें अपीलान्ट को और रेंस्पोडेन्ट दोनों को सुनने के पश्चात् दिनांक 04.02.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति मूल दावे के निर्णय तक बनाये रखने के आदेश दिये थे । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2011 की अप्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी, जानकारी होने तथा उससे पाबन्द होने के बावजूद भी उसने मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए दिनाक 27.11.2011 को जब प्रार्थी अपने खेत पर अपनी गेहूँ की फलस देखने के लिए तो वहॉ पर श्याम उर्फ घनश्याम अवैध तरीके से प्रार्थी के खेत की बाड में पट्टियॉ लगा रहा था और आराजी पर कब्जा अवैध रूप से करने का प्रयास कर रहा था जिसे प्रार्थी ने मना किया तथा माननीय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की प्रति दिखाते हुए उसे पट्टियॉ नहीं लगाने को कहा तो अप्रार्थी गुस्सा हो गया और माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति को फेकते हुए कहा कि मैं नहीं मानता ऐसे आदेश को । मैं जैसे चाहूंगा वैसे पट्टिया लगाउगॉ । इस प्रकार अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2011 की स्पष्ट अवहेलना की है । अप्रार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा जान बूझ कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2011 की स्पष्ट रूप से अवहेलना एवं अवमानना करने के कारण उसे कन्टेम्पट् ऑफ कोर्ट के तहत सिविल जेल की सजा से दण्डित फरमाया जावे तथा उसकी सम्पत्ति को अटेच व कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया जावे। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि मननीय न्यायालय ने दिनांक 04.02.2011 को पक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति मूल दावे के निर्णय तक बनाये रखने के आदेश दिये थे । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2011 की अप्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी, जानकारी होने तथा उससे पाबन्द होने के बावजूद भी उसने मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए दिनाक 27.11.2011 को जब प्रार्थी अपने खेत पर अपनी गेहूँ की फलस देखने के लिए तो वहॉ पर श्याम उर्फ घनश्याम अवैध तरीके से प्रार्थी के खेत की बाड में पट्टियॉ लगा रहा था और न्यायालय द्वारा पारित आदेश मानने से इंकार कर दिया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं

किया है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की हो । प्रार्थी द्वारा केवल मौखिक बयान के आधार पर न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना करना बताया है जो स्वीकार योग्य नहीं है । जब तक प्रार्थी द्वारा यह साबित नही कर दिया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की है जब तक उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है एवं मौखिक कथनों के आधार पर न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना किया जाना नहीं माना जा सकता ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा